

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

संख्या-2/आर-217/2026- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० रश्मि कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, चकिया, पूर्वी चम्पारण का दिनांक-25.05.2022 से 05.06.2025 तक की अविनियमित अवधि को निम्नरूपेण विनियमित किया जाता है:-

i	दिनांक-25.05.2022 से 24.05.2025 तक	(कुल-1096 दिन) अध्ययन अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में। (विभागीय अधिसूचना संख्या- 2045(2) दिनांक-30.11.2011 के आलोक में)
ii	दिनांक-25.05.2025 को	सप्ताहिक अवकाश के रूप में।
iii	दिनांक-26.05.2025 से 05.06.2025 तक	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में। (स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय)

2. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-
(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/आर-217/2026- 2324(2) पटना, दिनांक 24/9/2026
प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, 'पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, चकिया, पूर्वी चम्पारण/कोषागार पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/डा० रश्मि कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, चकिया, पूर्वी चम्पारण/प्रशाखा-3, 9 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

M. K. 25/9/26
सरकार के उप सचिव